डेंसिटी आफ पापुलेशन है, कितनी सड़कें है एक इलाके में, या एग्रीकल्चरल इंकम कितनी है, कल्टीवेटेड एरिया कितना है वगैरह वगैरह । तो १५ इडिकेटर्स उन्होंने तय किए हैं और इनके आधार पर सारे देश में बैकवर्ड एरिया के इलाकों का निर्धारण होगा फिर उसके बाद उनकी किस तरह से प्रगति हो इसके लिए अलग अलग टीमें बनेंगी और उस समय स्टीयरिंग कमेटी—जिसकी पहले बात की गई थी—काम में आयेगी ।

श्री भगवत नारायण भार्गव : मंत्री महोदय ने मुझ से करीब छः महीने पहले, पिछले सेंशन में, यह कहा था कि जो सर्वेक्षण पिछड़े क्षेत्रों का कराया जायगा उसमें बुंदेलखंड का भी सर्वेक्षण किया जायगा और सर्वेक्षण का आर्डर जारी हो चुका है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि उस आश्वासन के बावजूद कोई सर्वेक्षण अभी तक बुन्देलखण्ड में नहीं कराया गया है ?

श्री बी० आर० भगत : जैसा कि मैंने कहा कि ये १५ सेलेकटेड इंडिकेटर्स हैं और उसके आधार पर बुंदेलखंड में भी यू० पी० सरकार कराएगी और सारे देश में होगा । इसलिए जो आश्वासन मैंने दिया था उसमे कोई कमी नहीं है ।

SHRI C. D. PANDE: Sir, the hon. Minister has said that in certain States the requisite standard has not been applied to find out whether it is a backward area or not. May I know from him, Sir? Whenever backward areas in U.P. were mentioned, Bundelkhand and hill areas were mentioned. Now this time the Minister has emphasised four districts of eastern U.P. alone. May I know whether this was not an omission on the part of the Government and whether it will not be the Central Government's responsibility to see that really backward areas are included for such development plan, irrespective of the Government's action in the States?

SHRI B. R. BHAGAT: Sir, may I clarify this point? It is not as if Bundelkhand or Uttarkhand is not a backward area. For the country as a whole there may be backward areas but one backward area may differ from another and that will differentiate it in the matter of development because it all depends on the type of natural resources that may be there. One may have low water level so that a different pattern of development may emerge and the other may have some other resources. Therefore each specific area has to be identified on certain selected indicators and once they are identified on these indicators, special studies of each area with regard to natural resources and the patterns of development in different areas have got to be gone into and then a final stage will come when, on the basis of identification of areas and the pattern of development different types of development agencies and resources will be made. All this is being done now.

(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Next question.

SHRI FARIDULHAQ ANSARI: You will kindly excuse my interruption, Sir, when I say that that report itself indicates certain areas which are backward areas.

MR. CHAIRMAN: Mr. Ansari, I have already passed on to the next question.

अफीम का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में फार्मों का स्थापित किया जाना

*५०३. **श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया** : क्या वित्त मंत्री ४ दिसम्बर, १९६३ को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या ३२७ के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि अफीम का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के सहयोग से कुछ फार्म खोल

कर अनुसधान कार्य शुरू करने के बारे मे अब तक क्या कदम उठाये गये है ?

†[SETTING UP OF FARMS IN OPIUM-PRODUCING AREAS

*503. SHRI V. M CHORDIA: Will the Minister of FINANCE be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 327 in the Rajya Sabha on the 4th December, 1963 and state the steps which have so far been taken to undertake a research programme by setting up a few farms in the opium-producing areas in collaboration with the Indian Council of Agricultural Research?]

योजना मंत्री (श्री बी० आर० भगत): इस काम के लिए भूमि प्राप्त करने और योजना को वित्तपोषित करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

†[THE MINISTER OF PLANNING (SHRI B. R. BHAGAT): The question of obtaining a plot of land for the purpose and that of financing the scheme is at present under consideration.]

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : क्या श्रीमान्, यह बतलायेगे कि कहा कहा पर भूमि प्राप्त करने वाले है, कहा कहा पर इसकी कार्यवाही होने वाली है, या कागजों तक ही इसको रखने वाले है ?

श्री बी० आर० भगत : कागजों का सवाल नही है । इसमें शक नही है पहले तो ज़रा ज़ोर से ही काम हो रहा था मगर चूकि पिछले चार पांच साल में अफीम की एकड पैदावार काफी बढी है, यानी जहां पहले २० किलोग्राम पर हेक्टेयर होता था वहां अब ३० किलोग्राम पर हेक्टेयर बढ़ा है लेकिन उसके साथ साथ दूसरी तरफ हमारे एक्सपोर्ट मे कमी आ गई । तो अब वह अरजेन्सी नही है कि उसके लिये हम रिसर्च करें । इसलिये मैंने कहा प्रोडक्शन तो खूब बढा है लेकिन एक्सपोर्ट मे कमी हुई है लेकिन अर्जेन्सी नही है । यही कारण है रिसर्च के लिये जोर नही दिया गया है ।

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : दिसम्बर के महीने मे तो इस प्रकार की अर्जेन्सी महसूस करे । यह जवाब दिया गया था कि इस तरह का कार्यक्रम हाथ मे *लिया जा रहा है । और यह चार पांच महीने* मे ही अरजेन्सी आपके यहां से कम हो गई इसका क्या कारण है ?

श्री बी० आर० भगत : मैंने यह नहीं कहा इस काम मे देर हो रही है बल्कि अभी सूरतगढ मे एक फार्म बिठाने का विचार है और पूसा इन्स्टीट्यूट मे भी एक छोटे से प्लाट पर रिसर्च करने का विचार है । इससे पहले फूड एण्ड अग्रिकल्चर मिनिस्ट्री से बातचीत चल रही है । मैंने यह इसलिये कहा है कि हो सकता है इसमे थोड़ी, कुछ महीनो की, देर हो । लेकिन इस मे अभी अर्जेन्सी नही है ।

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : क्या श्रीमान् को ज्ञात है कि प्रश्न उन क्षेत्रों के बारे मे था जहा अफीम का उत्पादन हो सकता है वहा क्या भारतीय कृषि अनुसधान परिषद् के सहयोग मे कुछ फार्म खोल कर अनुसधान कार्य शुरू किया जायेगा । जब पूसा मे अफीम उत्पादन का काम नही होता है, सूरतगढ मे नही होता तो कम से कम जिस क्षेत्र मे उत्पादन होना है उस क्षेत्र में खोलने का जब श्रीमान् का सुझाव था तो वह कहां कहा खोलने का इरादा है ?

श्री बी० आर० भगत : अभी इन क्षेत्रों के किसानो से ज़मीन लेने की बातचीत हुई थी, कुछ निगोसियेशन भी चला था मगर ऐसी बातो में जो दिक्कत होती है उसमे न जमीन मिली और न कोई दाम तय हुआ

†[ ] English translation.

इसलिये सूरतगढ मे जो स्टेट फार्म है वहा और पूसा इन्स्टीट्यूट मे रिसर्च चलाने का विचार है जिससे किसी को दिक्कत पेश न आय ।

SHRI FARIDUL HAQ ANSARI: May I know whether the hon. Minister is aware that the Ghazipur district in U.P. used to produce the largest quantity of opium and there was an opium factory there also? May I know whether any such farm has been opened in that area?

SHRI B R. BHAGAT: That also may be one of the areas under consideration but, as I said, the difficulty of acquiring land from the peasant is very great. So, it is better shifted to some other area.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चोरड़िया: यह तो श्रीमान् ने बतलाया कि काश्तकारो से भी बातचीत हुई थी । मै आपसे साफ साफ यह पूछ रहा हू कि कहा कहा पर फार्म खोलने का आपका इरादा है और कहा कहा के काश्तकारो ने "ना" कर दी है ?

श्री बी० आर० भगत: मैंने तो बताया कि एक ही फार्म होगा सूरतगढ मे । पहले जहा बात हो रही थी वहा बात नही बनी ।

*504 [*The questioner (Shri Niren Ghosh) was absent. For answer,* vide *col.* 3650 *infra*]

PUBLICATION OF THE NAMES OF INCOME-TAX ASSESSEES

*505 SHRI BHUPESH GUPTA: Will the Minister of FINANCE be pleased to refer to the answer given to Starred Question No. 271 in the Rajya Sabha on the 6th May, 1964 and state:

(a) whether any steps have been taken with regard to the publication of the names of Income-tax assessees; and

(b) if so, whether he will lay on the Table of the House a Statement giving the names of all the assessees (for the latest year available) whose assessed income exceeds Rs 25 lakhs, together with the amount of assessed income in each case?

THE MINISTER OF PLANNING (SHRI B R BHAGAT): (a) Steps are being taken to publish the names of certain categories of income-tax assessees

(b) A statement giving this information is placed on the Table of the House [*See* Appendix XLIX, Annexure No. 49]

SHRI BHUPESH GUPTA: From the statement it would appear that there is no one in the country, no individual, whose assessed income is Rs 25 lakhs and over In view of the fact that there is an obvious indication even for the income-tax authorities that there are individuals in the country with an income of Rs 25 lakhs and over, how is it that not a single person of that category has been assessed and the list only gives the names of companies which have been assessed for income-tax in that category?

SHRI T. T. KRISHNAMACHARI: The statement that has been furnished does not present an up-to-date picture of the number of existing assessees with an income of over Rs. 25 lakhs because it does not include a number of assessees who have returned an income of Rs. 25 lakhs and more but whose assessment are still pending. A list of such assessees is under preparation. But I quite appreciate the point The hon. Member has mentioned that the list that has been given comprises firms and not individuals and it is a query that I did raise. I cannot say anything more than that.

SHRI BHUPESH GUPTA: I appreciate his frankness in this matter, but even the Finance Minister of the coun-